



Reliance Jio

Infocomm Limited

Ref.: - RJIL/OFC/NLD/EAST/UP/LUCKNOW/FOREST/05

Date:- 08.10.2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
17, राणा प्रताप मार्ग,
नरही, लखनऊ
उत्तर प्रदेश ।

विषय: जनपद लखीमपुर खीरी में राजमार्ग संख्या-101 (पलिया-त्रिकुलिया-खजुरिया मार्ग) के कि.मी. 82.20 से कि.मी. 119.50 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असम मार्ग) के कि.मी. 88.00 से कि.मी. 92.50, तक कुल कि.मी. 41.80 एवं 0.4406 हे० तक सड़क के किनारे पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु अनुमति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।
ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या: FP/UP/Others/41408/2019 date 08.08.2019.

सन्दर्भ: आपके कार्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्ति, दिनांक, 13.08.2019।

महोदय,

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्ति का निराकरण निम्नवत् है।

क्रम संख्या	प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	In A-2 (xiii) legal status of user agency is not correct. It should be private.	The correction have been made as per the instruction received
2	In I, the applicant has mentioned no to the point that whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone. Upload clarification from Director Dudhwa/Deputy Director Palia/Deputy Director buffer zone in this regard.	Required clarification letter issued by the office of DFO, North Kheri Forest Division / Deputy Director (Buffer Zone), Dudhwa Tiger Reserve, Lakhimpur Kheri, bearing no – 1385/ 15-1, dated- October – 08, 2020 is attached
3	Two sheets of toposheets are not original. Upload original toposheet.	These two sheets of Toposheets are restricted Toposheets & these Toposheets cannot be uploaded in public domain data by Survey Of India due to security reasons. So, these 2 toposheets are obtained from North Kheri Forest Division, Lakhimpur Kheri. So, kindly consider the same.
4	NOC for NH-730 is not readable, upload clear readable NOC.	The correction have been made as per the instruction received & readable NOC is attached.
5	Applicant has not uploaded NOC for SH-101. Upload accordingly.	The correction have been made as per the instruction received & readable NOC is attached.

अतः आप से निवेदन है कि अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

Formerly, Infotel Broadband Services Limited"

Local Office Address:- Rohtas 'K' Trident, 2nd Floor, 10-Rana Pratap Marg, Lucknow-226001

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग/उप निदेशक (बफर जोन), दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर-खीरी।
पत्रांक-1385 /15-1 : दिनांक: लखीमपुर-खीरी: अक्टूबर: 08 /2020

सेवा में,

श्री पंकज खरे, मैनेजर
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
IInd Floor, Rohtas "KS" Trid Building,
Rana Pratap Marg, Near Sikandarbag Chouraha,
Lucknow.

विषय:-

Laying of Optical Fibre Cable (OFC) along with road on SH-101 (Palia-Trikulia-Khajuria Road) from Km. 82.00 to Km. 119.50 & NH-730 (Pilibhit-Betia-Assam Road) from Km. 88.00 to Km. 92.50 Total Km. 41.80 & 0.4406 Ha. in North Kheri Forest Division, District Lakhimpur Kheri-UP.

संदर्भ :-

आपका पत्र दिनांक 26.09.2020।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयगत मार्ग राजकीय विज्ञप्ति संख्या-1115/XIV-331.50 दिनांक 10 फरवरी 1960 द्वारा संरक्षित वन घोषित है। इस वन प्रभाग की सम्पूर्णानगर रेंज के अन्तर्गत पड़ने वाला प्रश्नगत मार्ग (Palia-Trikulia-Khajuria Road) का भाग अर्थात् बमनगर चौराहे से सुमेरनगर तक दुधवा नेशनल पार्क का ईको सेन्सिटिव जोन (दुधवा नेशनल पार्क से 10 किमी० तक की दूरी) के अन्तर्गत है। इसके अतिरिक्त मैलानी रेंज के अन्तर्गत पड़ने वाला विषयगत मार्ग NH-730 (Pilibhit-Betia-Assam Road) from Km. 88.00 to Km. 92.50 तक किशनपुर सेन्चुरी के ईको सेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत है।

चूंकि दुधवा नेशनल पार्क एवं किशनपुर वन्य जीव बिहार का ईको सेन्सिटिव जोन नोटिफाइड न होने के कारण मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार 10 किमी० तक ईको सेन्सिटिव जोन माना जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन F.No.6-10/2011WL Dated 19-12-2012 में पैरा नं०-3.5.1 में निम्न प्रकार उद्धरण है:-

3.5.1 Activities within 10 Kms from boundaries of National Parks and Wildlife Sanctuaries:

In pursuance to the order of Hon'ble Supreme Court dated 04-12-2006 in Writ Petition (Civil) No. 460/2004, In case any project Requiring Environment Clearance, is located with in the eco-sensitive zone around a wild life sanctuaries or National parks or in absence of delineation of such a zone, within distance of 10 kms from its boundaries, the user agency/project proponent is required to obtain recommendation of the standing committee of NBWL.

E:\Node 4\VFC\2019-20\Bel_Panwari.doc

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

चूँकि प्रस्तावित प्रोजेक्ट एक Linear Project है तथा प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार इस प्रोजेक्ट के लिए Environmental Clearance की आवश्यकता नहीं है। अतः उपरोक्त गाइडलाइन के अनुसार इस प्रस्ताव हेतु राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त किया जाना वांछनीय नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित क्षेत्र केवल संरक्षित वन घोषित है जो दुधवा टाइगर रिजर्व के नोटिफाइड बफर क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। नोटिफाइड बफर क्षेत्र में केवल आरक्षित वन क्षेत्र सम्मिलित है।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि इस वन प्रभाग की मैलानी रेंज के अन्तर्गत पड़ने वाला विषयगत मार्ग NH-730 (Pilibhit-Betia-Assam Road) from Km. 84.40 to Km. 92.50 तक 1.813 हे० संरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ की पत्र संख्या-8बी/यू.पी./06/09/2019 एफ.सी. दिनांक 19.06.2019 द्वारा दी जा चुकी है जिसको नोडल अधिकारी के संज्ञान में लाना उचित होगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत संरक्षित वन के प्रभावित होने पर केवल Forest Clearance हेतु प्रस्ताव Online करना उचित होगा।

(डा० अनिल कुमार पटेल)

प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक, बफर जोन, दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर-खीरी।

पत्रांक- /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, सम्पूर्णनगर एवं मैलानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० अनिल कुमार पटेल)

प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक, बफर जोन, दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर-खीरी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0,
लखीमपुर-खीरी

पत्रांक 1129
सेवा में,

/ N.O.C

दिनांक :- 22.09.20

रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड,
रोहतास के0ट्राइडेण्ट, द्वितीय तल,
10- राना प्रताप मार्ग, लखनऊ।

विषय:- भानपुर-पलिया-निघासन मार्ग के कि0मी0- 38 के अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपके पत्र का दिनांक 21.08.2020

महोदय,

अवगत कराना है कि खण्ड द्वारा पत्र संख्या-575/- एन0ओ0सी0, दिनांक 23.05.2018 द्वारा भानपुर-पलिया-निघासन, जो कि सिसैया-धौरहरा-निघासन-पलिया-धनौराघाट-पूरनपुर (राज्य मार्ग संख्या-101) है। इस मार्ग पर आपको पूर्व में कि0मी0- 82.00 से 120.00 कुल 38 कि0मी0 की अनुमति ओ0एफ0सी0 केबिल डालने हेतु एन0ओ0सी0 खण्ड द्वारा जारी की जा चुकी है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0,
लखीमपुर-खीरी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0,
लखीमपूर खीरी

पत्रांक: 575

/ N.O.C

दिनांक: 23-5-18

सेवा में,

रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि0
पार्लो इन्फोकॉम ब्राउडबैंड सर्विसेज लि0
10-सना प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

विषय :- भानपुरी-पलिया-निघासन मार्ग किमी0-38 ओ0एफ0सी0 केबिल डालने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक RJIL/OFC/NLD/EAST/UP/BG/211 दिनांक 25.04.2018

महोदय,

विवर्णित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा इस कार्यालय के पत्रसंख्या-307/सी0-1 दिनांक 17.03.2018 के अनुपालन में विषयक मार्ग पर ओ0एफ0सी0 केबिल डालने हेतु अनुमति के लिए आवश्यक वांछित धनराशि की बैंक गारन्टी इस खण्ड में जमा करायी गयी है। बैंक गारन्टी संख्या 0541BGR0029519 of ICICI Bank Ltd. dated 17-04-2018 for Rs. 419520.00 एवं डिमान्ड ड्राफ्ट संख्या 518997 रू0 35000.00 of HDFC Bank Ltd. dated 09-05-2018 अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, खीरी के पक्ष में बनायी गयी है।

आपके द्वारा ओ0एफ0सी0 केबिल डालने हेतु अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

1. ऑप्टिकल फाइबर केबिल डालने का कार्य मार्ग की लेपित सतह के किनारे अधिकतम दूरी फुटपाथ/कच्चे मार्ग पर की जाये।
2. ऑप्टिकल फाइबर केबिल डालने हेतु कच्चे भाग में खोदे गये भाग का रेस्टोरेशन कम्पनी(गै0 रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0) द्वारा कटिंग पूर्ण होने के पश्चात अधिकतम 72 घण्टों में विभाग की विशिष्टियों के अनुसार किया जायेगा। निर्धारित अवधि के अनुपालन न होने की स्थिति में रेस्टोरेशन कार्य विभाग द्वारा करा लिया जायेगा एवं व्यय की गयी धनराशि की वसूली जमा बैंक गारन्टी से कर ली जायेगी।
3. ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने के लिए खोदे गए गड्ढों को बेरिकेंटिंग/टीन लगाकर सुरक्षित किया जायेगा ताकि व्यक्ति/बच्चा/जानवर आदि गिर न जाय। सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्ण उत्तरदायित्व कम्पनी का होगा।
4. मार्ग पर केबिल डालते समय आवश्यक मार्गदर्शक तथा अन्य सुरक्षा सम्बन्धी प्रवन्ध रिलायन्स जियो द्वारा कराये जायें एवं कार्य करते समय यातायात को कोई असुविधा न हो।

1 letter now.

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

लखनऊ

पंकज खरे (प्रबन्धक)

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

लखनऊ

5. केबिल की स्थापना सम्मत समयवित्त कर्मों के सम्पादन के समय या पश्चात जनसुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व कम्पनी का होगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना/क्षति और उसके परिणामों के लिए कम्पनी जिम्मेदार होगी। कम्पनी द्वारा समस्त सुरक्षा उपायों का प्रयोग किया जायेगा।
6. प्रदान की गयी अनुमति विषयकित भाग के लिए ही मान्य होगी
7. मार्ग के रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण हो जाने के 6 माह पश्चात बैंक गारन्टी वापस की जायेगी।
8. फर्म द्वारा केबिल न्यूनतम 1.50मी० की गहराई पर डाली जाये।
9. अनुमति पत्र रोड काटने के समय कटिंग एजेन्सी अपने साथ रखेगी ताकि आवश्यकता के समय माँगे जाने पर प्रस्तुत किया जा सकें।
10. जब कभी विभाग का मार्ग चौकीकरण एवं अन्य कार्यों से सक्त स्थल की आवश्यकता होगी तो केबिल/ पाइप लाइन आदि डालने वाले विभाग/ कम्पनी फर्म को सक्त केबिल/ पाइप लाइन आदि अपने सर्वे पर हटाकर पूर्ण स्थिति में विभाग को सक्त स्थल सपलवा कराना होगा।
11. प्रस्तावित रोड कटिंग से सम्बन्धित यदि किसी अन्य विभाग की अनुमति की आवश्यकता हो तो यह आवेदक को स्वयं अपने स्तर पर लेनी होगी, जिसका विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
12. रोड कटिंग का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व केबिल/ पाइप लाइन डालने वाले अन्य विभागों से आपसी समन्वय स्थापित करने के पश्चात ही रोड कटिंग का कार्य प्रारम्भ किया जाय जिससे कि मार्ग पर पूर्व से पड़ी केबिल/ पाइप लाइनों के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना न हों।
13. रोड कटिंग का कार्य अनुमति जारी रखने की तारीख से एक माह के अन्दर ही कराना होगा। उसके बाद यह अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3 लो०नि०वि०
लखीमपुर-खीरी

पत्रांक:
प्रतिलिपि :-

दिनांक:

1. सहायक अभियन्ता प्रथम/द्वितीय निर्माण खण्ड-3, लो०नि०वि०, खीरी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्री मनोज कुमार लोधी कैशियर निर्माण खण्ड-3, लो०नि०वि०, खीरी को बैंक गारन्टी (मूल में) सुरक्षित रखे जाने हेतु।

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3 लो०नि०वि०
लखीमपुर-खीरी

- 600 -
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

पंकज खर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
लखीमपुर-खीरी

पत्रांक:- 536 / Optical Fiber Cable / NOC

सेवा में,

दिनांक :- 24/08/2020

✓ मैनेजर रिलायंस जियो
इन्फोकॉम लिमिटेड,
रोहतास 'के' ट्राइडेंट, द्वितीय तल
रानाप्रताप, लखनऊ-226001

विषय:-

Permission to lay optical fiber cable along with NH-730, from Km 135.70 to Km 226.00

सन्दर्भ:-

Your letter no RJIL/OFC/NLD/EAST/UP/Lakhimpur-Kheri/NH-PWD/01 dated 19-08-2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में आप द्वारा चाही गई सूचना जो इस कार्यालय के पत्रांक:- 533/एन0एच-730/ओ0एफ0सी0 दिनांक 06.11.2015 एवं पत्रांक:- 115/ओ0एफ0सी0/एन0ओ0सी0/20015-16 दिनांक 15.03.2016 द्वारा आपको पूर्व में प्रेषित की गई थी, उक्त पत्रों की छायाप्रति एवं पत्रांक:- 115/ओ0एफ0सी0/एन0ओ0सी0/2015-16 दिनांक 15.03.2016 के संलग्नक (एनेक्जर) की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
लखीमपुर-खीरी

पंकज खर (प्रबन्धक)
रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER

N.H. DIVISION, PWD,

LAKHIMPUR-KHERI

Letter no.... **533 / N.H. 730 / OFC**
To,

Date:- **6.11.15**

M/S Reliance Jio Infocomm Ltd.

Rohtas "K" Trident, 2nd Floor, 10-Rana

Pratap Marg, Lucknow.

**Sub:- Permission to lay optical fibre cable along road site of NH-730 from Ch-
Ch-135.70 to Km 73.20.**

**Ref:- RJIL/OFC/INTERCITY/EAST/UP/LAKHIMPUR TO KHUTAR/PWD/40 DATE-
08.09.2015**

This is to inform you with reference to above mentioned letter that stretch of NH-730 from chainage 88.00 to 228.40 falls under the jurisdiction of this division. You have sought the permission to lay OFC along the above NH-730 from chainage 73.20 to 135.70.

We are therefore allowing you to lay OFC along the road from chainage 88.00 to 135.70 with following conditions. For remaining length from chainage 73.20 to 88.00 you may approach NH-Division, PWD Bareilly.

- (i) Only Horizontal Directional Drilling (HDD) Technique will be used to lay OFC.
- (ii) To lay OFC by HDD method, pit should be dug at interval of not less than 200 m in straight reaches and size should be restricted to 2.00 m X 2.00 m X 1.50 m. Any deviation in the sizes must be intimated to this office in advance. All precautions like barricading and installation of cautionary board etc. should be placed around pits to avoid any accident. After laying of OFC, pits should be properly restored and well compacted.
- (iii) OFC must be laid along the outermost boundary of road i.e. along the outermost edge of Right of way (ROW). In no case it should be less than 12 m from the centre of road as shown in the line diagram submitted by you.
- (iv) Permission, if any, required from other governmental Agency like Nagar Panchayat/Nagar Palika Parishad or forest department, will be obtained prior to commencement of work.
- (v) In case of future widening of road, If laid OFC is required to be shifted, the company will be deemed bound to do so without any cost to the department.
- (vi) While laying OFC by HDD method, or excavating the pits, it should be ensured that no damage is done to other services like water supply, underground cables etc. If any such damage is met with, it should be repaired/replaced to the satisfaction of concerned department/owner.

Received
[Signature]
6/11/15

9c
(Irfan Ahmad)
Executive Engineer
N.H. Division, PWD,
Lakhimpur-Kheri

पंकज शर्मा (प्रबन्धक)

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ